सिटी बाइट्स

सीतारामडेरा में खून से सना बोरा मिलने से सनसनी, जांच में निकला जानवर का शव

जमशेदपुर. सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के अपेक्स अस्पताल के पास मेन रोड पर गुरुवार की रात करीब 10:30 बजे खून से सना एक बोरा मिलने से सनसनी फैल गयी. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गयी. सूचना मिलते ही सीतारामडेरा पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आसपास की दुकानों व इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुट गयी. सीसीटीवी खंगालने और बोरे की गहनता से जांच करने के बाद पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की. पुलिस के अनुसार, बोरे में किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का शव था. आशंका जतायी जा रही है कि किसी वाहन से ले जाने के क्रम में यह बोरा अनजाने में सड़क पर गिर गया होगा, जिससे यह भ्रम फैला.

सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोपी बरी

जमशेदपुर. पोटका थाना अंतर्गत हेसलमोड़ में सड़क हादसा के बाद जाम व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में गुरुवार को प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू की अदालत ने आरोपी सोनू मोदक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने कोर्ट में पैरवी की. मामला 24 दिसंबर 2022 का है. इस संबंध में पोटका थाना के एएसआइ प्रभुनाथ शर्मा ने सोनू मोदक के खिलाफ सड़क जाम व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व पुलिस के साथ हाथापाई करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

करनडीह रेलवे फाटक पर जलजमाव का सर्वे जल्द

जमशेदपुर. करनडीह रेलवे फाटक के समीप लगातार जमा हो रहे दूषित पानी की गंभीर समस्या को लेकर गुरुवार को विभिन्न बस्तियों के ग्रामीण, फ्लैटवासी, दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सांसद विद्युत वरण महतो से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से क्षेत्र में महामारी फैलने और आगामी पूजा में परेशानी की आशंका जताते हुए नाला निर्माण व समुचित जल निकासी की मांग की. वहीं, सांसद ने आश्वस्त किया कि अगले 10 दिनों में रेलवे विभाग और जिला प्रशासन के कार्यपालक अभियंता संयुक्त रूप से स्थल का सर्वे करेंगे. इसके बाद स्थायी जल निकासी की योजना बनाकर जल्द काम शुरू कराया जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में मुखिया सरस्वती टुडू, सुदिप्तो दे (राणा), मानिक मलिक, शांखो हांसदा और मंटू गोप समेत कई लोग मौजूद थे.

एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकासी का आरोपी बरी

जमशेदपुर. सीतारामडेरा निवासी कल्याण कुमार साव का एटीएम कार्ड बदलकर 64 हजार रुपये निकासी करने के मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दो की अदालत ने आरोपी गम्हरिया निवासी गोपाल कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जवाहरलाल साह और त्रिभुवन यादव ने कोर्ट में पैरवी की. मामला वर्ष 2022 का है. इस संबंध में कल्याण कुमार साव ने साइबर थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस मामले में कुल चार लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी. गोपाल कुमार के खिलाफ मानगो थाना में भी वर्ष 2021 में केस दर्ज हुआ था. लेकिन उक्त केस में भी गोपाल कुमार बरी हो चुका है.

सीतारामडेरा : हाइवा की चपेट में आया युवक, गंभीर

जमशेदपुर. सीतारामडेरा थाना अंतर्गत बर्निंग घाट गोल चक्कर के पास हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक उत्तम कालिंदी गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उत्तम को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना गुरुवार की दोपहर करीब 11:30 बजे की है. दुर्घटना में उत्तम का दोनों पैर में चोट लगी है. वह मानगो कुंवर बस्ती का रहनेवाला है. उसके परिजन ने बताया कि वह बारीडीह में गैरेज मिस्त्री का काम करता है. गुरुवार को काम पर जाने के पूर्व छायानगर स्थित मामी से मिलने उनके घर गया था. वहां से वह बाइक से बारीडीह जा रहा था. इस दौरान एक अनियंत्रित हाइवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद चालक हाइवा को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद सीतारामडेरा पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा को जब्त कर लिया.

मानव तस्करी के 3 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

जमशेदपुर. चाईबासा की तीन नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत ने तीन आरोपी बागबेड़ा हरहरगुट्टू निवासी जी विक्की राव, सोमनाथ पात्रो और पुरुलिया निवासी मो. सिराज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. तीनों फिलहाल जमानत पर थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कोर्ट में पैरवी की है. मामला वर्ष 2021 का है. जानकारी के अनुसार चाईबासा की तीन नाबालिग को बहला-फुसला कर एर्नाकुलम एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया जा रहा था. रेल पुलिस को अंदेशा होने पर पुलिस ने तीनों नाबालिगों को बरामद किया. इस मामले में बागबेड़ा हरहरगुट्टू निवासी जी विक्की राव, सोमनाथ पात्रो और पुरुलिया निवासी मो. सिराज पर मानव तस्करी के तहत केस दर्ज किया गया था.

सेवानिवृत्त डीएसपी महेश्वरी प्रसाद का निधन

जशमोदपुर. सेवानिवृत्त डीएसपी महेश्वरी प्रसाद का गुरुवार सुबह टीएमएच में इलाज के दौरान निधन हो गया. अचानक बीपी अत्यधिक कम होने तथा ऑर्गन फेलियर की वजह से सुबह 9:55 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. शाम 4 बजे सुवर्णरेखा बर्निंग घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. मूल रूप से बिहार के गया जिला के रहने वाले महेश्वरी प्रसाद डिमना चौक स्थित हिल व्यू कॉलोनी में सपरिवार रहते थे.उनके बड़े बेटे मोहित कुमार जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में व छोटे बेटे रोहित कुमार दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल वकील हैं. उनके निधन पर पुलिस अधिकारियों, कर्मियों और स्थानीय लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

राहुल अग्रवाल मौत प्रकरण : कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना केस किया डिस्चार्ज

- 5 मई 2022 को राउरकेला के कारोबारी राहुल अग्रवाल ने डीडी बार बिल्डिंग से कूदकर दी थी जान

जमशेदपुर. राउरकेला के कारोबारी राहुल अग्रवाल के माता विमला अग्रवाल और पिता बजरंग अग्रवाल पर दहेज प्रताड़ना मामले में गुरुवार को प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी सीमा कुमारी मिंज की अदालत ने सुनवाई करते हुये केस को डिस्चार्ज कर दिया है. इस मामले में पूर्व में एक अन्य आरोपी राहुल अग्रवाल के चाचा दुर्गा प्रसाद अग्रवाल पर लगे आरोप को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने डिस्चार्ज किया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश भूषण प्रसाद और सृष्टि देबुका ने कोर्ट में पैरवी की थी. मामला 16 फरवरी 2022 का है. इस संबंध में सोनारी निवासी व कारोबारी प्रदीप चूड़िवाला की बेटी वर्षा अग्रवाल ने सोनारी थाना में राउरकेला के कारोबारी पति राहुल अग्रवाल, सास विमला अग्रवाल, ससुर बजरंग अग्रवाल और चाचा ससुर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था. जिसके बाद 5 मई 2022 को राहुल अग्रवाल ने बिष्टुपुर स्थित डीडी बार बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या करने से पूर्व राहुल अग्रवाल ने एक वीडियो भी जारी किया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल अग्रवाल के भाई अंकित अग्रवाल ने बताया कि इसी केस के कारण भाई की जान गयी थी. अंततः सच्चाई की जीत हुई. हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था. सोनारी थाना में केस होने के बाद से भाई डिप्रेशन में था. इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली थी.

राहुल अग्रवाल. (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल के गिधनी रेलवे स्टेशन पर घटना के बाद मची अफरा-तफरी

दो हिस्सों में बंटी दुरंतो एक्सप्रेस कम गति के कारण टला बड़ा हादसा

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर/चाकुलिया

ट्रेन के एक हिस्से को छोड़ इंजन के साथ आगे निकलीं दो बोगियां.

डेढ़ घंटे तक बाधित रहा रेल परिचालन, दो घंटे विलंब से टाटानगर पहुंची ट्रेन

इंजन के साथ आगे की दो बोगियां बी-1 और बी-2 आगे चली गयीं

टाटानगर में ट्रेन की दोबारा जांच की गयी, यात्रियों ने सुरक्षा पर उठाये सवाल

पश्चिम बंगाल के गिधनी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की सुबह हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस (12222) की बोगियों के बीच कपलिंग खुल जाने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गयी. घटना के समय ट्रेन की गति कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया. इस दौरान यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. करीब एक से डेढ़ घंटे तक अप रेल लाइन बाधित रही.

झाड़ग्राम आरपीएफ प्रभारी राकेश मिश्रा ने बताया कि खड़गपुर से टाटानगर की ओर आ रही दुरंतो एक्सप्रेस को वंदे भारत एक्सप्रेस को पास देने के लिए गिधनी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर खड़ा किया गया था. वंदे भारत एक्सप्रेस के गुजरने के बाद दुरंतो एक्सप्रेस जैसे ही जमशेदपुर के लिए रवाना हुई, उसी दौरान बोगियों के बीच की कपलिंग खुल गयी. कपलिंग खुलने से इंजन के साथ आगे की दो बोगियां बी-1 और बी-2 आगे चली गयीं, जबकि पीछे की बोगियां अलग रह गयीं. गार्ड की सूचना पर चालक ने तत्काल ट्रेन रोक दी. सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी और विशेषज्ञ तकनीकी दल मौके पर पहुंचा. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों हिस्सों की कपलिंग जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया.

टाटानगर पहुंचे यात्रियों ने बताया कि गिधनी स्टेशन के पास अचानक ट्रेन में जोरदार कंपन महसूस हुआ. इसके बाद रेलवे कर्मचारी इधर-उधर भागते नजर आये. कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेन की दो बोगियां अलग हो गयी हैं. यात्रियों ने बताया कि ट्रेन की गति कम रहने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.कपलिंग खुलने की घटना के कारण ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ और यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. टाटानगर स्टेशन पर ट्रेन को रोककर दोबारा जांच की गयी, जिसके बाद आगे के लिए रवाना किया गया. हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस करीब दो घंटे की देरी से टाटानगर पहुंची. यात्रियों ने रेलवे में लगातार हो रही तकनीकी घटनाओं पर चिंता जताते हुए रेलवे मंत्रालय से ट्रेनों की नियमित तकनीकी जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की.

बंडामुंडा सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा दंतैल हाथी, 45 मिनट थमा रहा ट्रेनों का परिचालन

जमशेदपुर. चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा सेक्शन में बुधवार रात करीब 9 :10 मिनट पर एक दंतैल हाथी के रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. एहतियातन हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया. करीब 45 मिनट तक रेलवे ट्रैक पर हाथी की मौजूदगी के कारण रेल परिचालन बाधित रहा. जब हाथी ट्रैक से हटा, तब स्थिति सामान्य हुई और मुख्य रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया. हाथी की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने मुख्य लाइन की डाउन लाइन पर तत्काल कॉशन ऑर्डर जारी किया. इसके तहत इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित कर दी गयी.

सुबह सात बजे जंगल में खदेड़ा : इस बीच वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों और रेलवे के समन्वय से दंतैल हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाये रखी. वन विभाग और स्थानीय लोगों के प्रयास से हाथी को गुरुवार की सुबह करीब सात बजे सुरक्षित रूप से लोहंडा जंगल की ओर खदेड़ दिया गया.

सीएनटी एक्ट के उल्लंघन में समझौते से आदिवासी जमीन पर कब्जा वैध नहीं : हाइकोर्ट

- अदालत ने भूमि वापसी और अपीलीय आदेशों को रखा बरकरार, प्रार्थी को राहत देने से इनकार

जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को एमजीएम थाना क्षेत्र के देवघर मौजा की जमीन से जुड़े आदिवासी भूमि विवाद के मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने प्रार्थी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी रिट याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट)-1908 के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में हुए कथित धोखाधड़ी या मिलीभगत वाले समझौता डिक्री के आधार पर आदिवासी रैयती जमीन पर कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने पूर्व में जारी भूमि वापसी आदेश व अपीलीय आदेशों को पूरी तरह बरकरार रखा है.

मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दलील दी गयी कि वर्ष 1967 में दायर टाइटल सूट (संख्या-791/1967) के समझौते के आधार पर संबंधित जमीन पर उनका शांतिपूर्ण कब्जा रहा है. इसी आधार पर म्यूटेशन हुआ और लगान भी स्वीकार किया गया था. प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि करीब 35 वर्षों के लंबे कब्जे के बाद एसएआर मामला दर्ज हुआ, इसलिए धारा 71-ए की कार्यवाही समय-सीमा से बाधित थी और मकान बनने से भूमि का स्वरूप छप्परबंदी में बदल गया था.

क्या था मामला : यह विवाद पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत एमजीएम थाना क्षेत्र के देवघर मौजा की जमीन से जुड़ा था. प्रार्थी अनंता गौर उर्फ अनंत कुमार प्रधान व ईशान गौर उर्फ ईशान कुमार प्रधान ने भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) धालभूम जमशेदपुर के 29 जून 2006 के आदेश को चुनौती दी थी. इस आदेश के तहत धारा 71-ए के तहत जमीन को मूल रैयत ममता सिंह मुंडा के पक्ष में बहाल करने का निर्देश दिया गया था. बाद में प्रार्थियों की एसएआर अपील व रिवीजन याचिका भी खारिज हो गयी थी.

COUNTRY CRICKET CLUB
JSCA International Stadium Complex, Dhurwa Ranchi-834004
Expressions of Interest (EOI)
Country Cricket Club (CCC), located within the JSCA International Stadium Complex, Ranchi, invites Technical and Financial Proposals from reputed Architects / Architectural Firms for the design and end-to-end professional services for development of a Banquet Facility in CCC.
For details visit website http://www.countrycricketclub.com
For Country Cricket Club (Honorary Secretary)

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER JALPAIGURI ZILLA PARISHAD STATION ROAD, JALPAIGURI, PIN 735101Abridge copy of NIT No- WBZP/07-DE/JLP/2026-27 Memo no-409/Eng, Date-02/08/26
Online percentage rate e-tendersare hereby invited by the under signed for 26Nos of Repairing of Roads works throughout the Jalpaiguri District under Pothole Repairing Programme, 2026 vide e-Tender 2026_ZPHD_5021761_1 to 26. Last date of Tender 16/09/26. For further details login to https://tenders.wb.gov.in.
Sd./-
District Engineer
Jalpaiguri Zilla Parishad

जमशेदपुर को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की बैठक में गहराया विवाद

जमशेदपुर. जमशेदपुर को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड (साकची) की प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्तावित एजेंडे को लेकर विवाद गहरा गया है. समिति के कई सदस्यों ने कर्मचारियों के ग्रेड रिवीजन, महंगाई भत्ता (डीए) के अनुमोदन और लेखापाल को कार्यवाहक प्रबंधक का प्रभार सौंपने के प्रस्ताव पर लिखित असहमति दर्ज करायी है. सदस्यों ने सोसाइटी के अध्यक्ष एसके पांडेय को पत्र सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज करायी और इसे कार्यवाही पंजी में यथावत दर्ज करने की मांग की है. अध्यक्ष को सौंपे पत्र में सदस्यों ने कहा कि इन मामलों पर संयुक्त निबंधक (सहकारिता समितियां, रांची) की ओर से 19 जून 2026 को जारी आदेश प्रभावी है. जिसके खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में रिट याचिका विचाराधीन है. सदस्यों ने चेतावनी दी कि कोर्ट का फैसला आने से पहले समिति द्वारा निर्णय लेना अदालत की अवमानना होगी. आपत्ति दर्ज कराने वालों में प्रबंध समिति सदस्य आशीष कुमार राय, ए विश्वनाथ, उल्का सरकार, सजल कुमार गुहा, निवेदिता, प्रमिला सिंह और स्नेहा बागची शामिल हैं. पत्र की प्रतिलिपि संयुक्त निबंधक (रांची) व जिला सहकारिता पदाधिकारी (जमशेदपुर) को भी भेजी है.

दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा
निविदा सूचना सं. एसईआर-ओबीएचएस-रिफॉर्म्स-2026, दिनांक 02.09.2026; भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से सीनि. कोचिंग डिपो अधिकारी, सांतरागाछी, दक्षिण पूर्व रेलवे, खड़गपुर मंडल द्वारा नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार वेबसाइट www.ireps.gov.in पर ई-निविदा के जरिए एकल पैकेट प्रणाली में विशेष सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। पात्र निविदादाताओं से इसके लिए नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार वेबसाइट www.ireps.gov.in पर सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है। कोई भी ऑफलाइन निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। विवरण के लिए कृपया दस्तावेज अनुभाग में अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज पढ़ें। कार्य का नाम: सूची में शामिल फर्मों के माध्यम से दक्षिण पूर्व रेलवे के चिन्हित की गई ट्रेनों में दो वर्षों की अवधि के लिए बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाएँ (ओबीएचएस एवं लीनेन वितरण) कार्य। निविदा मूल्य: रु. 50,28,59,925.13; बयाना राशि: रु. 26,64,300। निविदा दस्तावेज की कीमत: रु. 25,000। निविदा बंद होने की तारीख: 19.09.2026 को 11.30 बजे। (PR-715)

JHARKHAND STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED (JSF&CSCL)
(A Government of Jharkhand Undertaking)
JSFC Bhawan, Kadru Main Road, Ranchi - 834002
NOTICE FOR ENGAGEMENT OF LAW EXECUTIVE (ON CONTRACT BASIS)
NIT No.:- 2943 Date:- 03.09.2026
Applications are invited from eligible candidates for appointment to the post of **Law Executive** in Jharkhand State Food & Civil Supplies Corporation Limited (JSF&CSCL). The selected candidate shall provide legal and regulatory support to the Corporation in matters relating to litigation, contracts, procurement, statutory compliance, dispute resolution and other legal affairs of the Corporation.
Number of Positions: 01
Educational Qualification
LL.B. Degree from a recognized University with a minimum of 60% marks.
Experience
The candidate must possess either of the following:
1. **Minimum five (05) years of post-qualification experience** in legal practice, litigation, legal advisory services, drafting and vetting of legal documents, contract management or related legal matters;
OR
2. **Minimum ten (10) years of post-qualification experience** as a Law Executive, Legal Officer, Legal Consultant or in an equivalent legal position in a Central Government Department, State Government Department, Public Sector Undertaking (PSU), Autonomous Body, Statutory Body or reputed Company.
Last Date for Submission of Application: 20th September 2026
Detailed advertisement, eligibility criteria, remuneration, terms & conditions and online application form are available at https://www.jharkhand.gov.in/food under the **"Recruitments"** section.
JSF&CSCL reserves the right to modify/cancel the engagement process without assigning any reason.
Sd/-
Managing Director
JSF&CSCL

JHARKHAND STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED (JSF&CSCL)
(A Government of Jharkhand Undertaking)
JSFC Bhawan, Kadru Main Road, Ranchi - 834002
CORRIGENDUM III
NIT No.:- 2393 Date:- 06.08.2026

As per RFP	Now corrected and shall be read as
In RFP page no. 08 **1.1.3.** The Head Office/Branch office of the firm must be located in Ranchi for more than 08 Years.	**In RFP page no. 08** **1.1.3.** There is no restriction of Head Office/Branch office of the firm located in Ranchi. The selected firm must be open their Office at Ranchi within 02 months.
In RFP page no. 08 **1.1.9.** The firm must have a valid Provident Fund Registration for two years from the date of RFP.	**In RFP page no. 08** **1.1.9.** Provident Fund Registration for the firm is not required.
Last date of BID Submission: 31.08.2026, 05:00 PM	**Last date of BID Submission extended up to:** 16.09.2026, 05:00 PM

इंडियनऑयल CIN-L23201MH1959GOI011388
सर्वो स्टॉकिस्ट के लिए पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति
भारतीय सलुब्रिकेंट्स व्यवसाय में अग्रणी के साथ जुड़ने का एक रोमांचक अवसर।
इंडियनऑयल नवीनतम फॉर्च्यून 'ग्लोबल 500' लिस्टिंग में सबसे ऊंची रैंक वाली भारतीय कंपनियों में से एक है। इंडियनऑयल का *SERVO*® भारत में स्नेहक और ग्रीस के बीच ब्रांड लीडर है और इसे सुपरब्रांड्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा "उपभोक्ता सुपरब्रांड" का दर्जा प्रदान किया गया है।
इंडियन ऑयल व्यावसायिक भागीदारों के रूप में गतिशील और ऊर्जावान उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करके संस्थागत/पुनर्विक्रेता खंड (बी2बी और बी2सी) में *SERVO*® लुब्रिकेंट्स के वितरण चैनल को मजबूत करने की प्रक्रिया में है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सर्वो स्टॉकिस्ट-इंस्टीट्यूशनल/पुनर्विक्रेता के रूप में काम करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर संभावित पार्टियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव किया है।

एनआईटी नंबर	आवेदन अवधि
एनआईटी नंबर – HO/Lubes/2026-27/1 सर्वो स्टॉकिस्ट के लिए एम्पैनलमेंट हेतु ईओआई	आवेदन दस्तावेज डाउनलोड 04.09.2026 (11:00 बजे से) से शुरू होता है। भौतिक आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 05.10.2026 (16:00 बजे तक)
संपर्क व्यक्ति	
श्री सागर कोंडागुली मुख्य प्रबंधक (एलआरएस), एचओ मुंबई	svkondaguli@indianoil.in, मोबाइल नंबर 9449596950

इच्छुक आवेदक https://spandan.indianoil.co.in/BPSP/HomePage.jsp (शुरुआती राज्य चुनें : महाराष्ट्र) से आवेदन पत्र और दिशानिर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईटी/आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र एनआईटी में उल्लिखित पते पर अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए। शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भी उसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक **Punjab National Bank** ...the name you can BANK upon !
Co-SAM विभाग, 5वां तल, नाइल कॉम्प्लेक्स, एच.बी. रोड, कांटाटोली, रांची - 834001 फोन: 9308475717, ई-मेल: coransamd@pnb.bank.in
अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि / B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि / C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार / D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	A) आरक्षित मुल्य (रू0 लाख में) / B) इएमडी / C) बोली वृद्धि राशि / D) Baanknet प्रॉपर्टी आईडी	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	**शाखा कार्यालय : जमशेदपुर** (006320) **मैसर्स एस.जे. ट्रेडर्स, प्रो. मुकुल सिंह** R/o घोड़ा चौक, शांति होटल के पास, जुगसलाई, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम – 831006 **गौरव आनंद, पिता: अशोक कुमार** R/o अशोक टॉवर, फेज I, ओल्ड पुरुलिया रोड, कुंवर बस्ती, काली मंदिर, मानगो, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम – 831006 **राज कुमार, पिता: स्वर्गीय सुदामा प्रसाद** R/o रोड नं. 4, बागबेड़ा कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम – 831011 **राकेश कुमार सिंह, पिता: महेंद्र प्रताप सिंह** R/o मानगो गुरुद्वारा रोड, मानगो, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम – 831012	ओल्ड पुरुलिया रोड पर स्थित "**अशोका टॉवर**" के नाम से प्रसिद्ध भवन के भूतल पर स्थित कार्यालय सह आवासीय परिसर के सभी भाग, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट है, जिसमें कमरे, हॉल, लैट-बाथ शामिल हैं तथा 250 वर्ग फीट भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, 100 वर्ग फीट का एक खुला कार पार्किंग स्थल, सभी लाभों, विशेषाधिकारों और मूलभूत सुविधाओं के साथ, साथ ही उसमें प्रदान किए गए सामान्य स्थान, रास्तों आदि के उपयोग के अधिकार सहित; जो मौजा पारडीह, थाना मानगो, थाना संख्या 1641, वार्ड संख्या 8 (एमएनएसी) में स्थित है, नया खाता संख्या 198 के तहत दर्ज नया प्लॉट संख्या 3928 का हिस्सा, जिला अवर-निबंधन कार्यालय एवं शहर जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, राज्य झारखंड के अंतर्गत, गौरव आनंद के नाम पर बिक्री विलेख (सेल डीड) संख्या 6883/8261, दिनांक 08.09.2010 के तहत पंजीकृत है। संपत्ति की **चौहद्दी इस प्रकार है :** उत्तर: खाली क्षेत्र, अशोका टॉवर की चारदीवारी, दक्षिण: अशोका टॉवर का खाली क्षेत्र, पूर्व: अशोका टॉवर की दुकान, पश्चिम: पार्किंग क्षेत्र और रास्ता	**A) 01.10.2021** **B) Rs. 21,43,569.21** + further interest **C) 23.09.2025** **D)** सांकेतिक कब्जा	**A) Rs. 23,22,000.00** **B) Rs. 2,32,200.00** **C) Rs 50,000.00** **D) PUNB67942144**	**24.09.2026 11:00 AM to 04:00 PM**

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं
नियम एवं शर्तें
बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **24.09.2026 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 23.09.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।
SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना
तिथि : 02.09.2026 **स्थान : जमशेदपुर**
नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता